न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 795/2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. बजरंगलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. मालचन्द सुथार पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर हाल निवास रावतसर तहसील रावतसर ।
2. श्रीनिवास पुत्र राधाकृष्ण जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र सन्तलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. हीरालाल पुत्र सन्तलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

6. जड़िया पत्नी प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
7. गीतादेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
8. जमनादेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 368/345 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रयागचन्द, राधाकृष्ण, सन्तलाल, रामचन्द्र पुत्रगण तेजुराम जाति खाती की संयुक्त रूप से अर्जित कृषि भूमि है। उक्त संयुक्त परिवार की साझा आय से अर्जित कृषि भूमि को प्रयागचन्द आदि भाईयों ने अपने पुत्रों के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा दी मगर प्रयागचन्द आदि चारों भाईयो ने पारिवारिक समझौता कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 के के पिता व पति को प्राप्त हुई तथा उक्त वाद भूमि को प्रयागचन्द अपने जीवनकाल में काश्त करता था साथ ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करते थे प्रयागचन्द की फौतदगी के बाद वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 उसके खातेदार काश्तकार हुए। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 368/345 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि के मुता[illegible] बंटवारा व सहमति के आधार पर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या [illegible] के [illegible] खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 [illegible]ना हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

मुताबिक बंटवारा व सहमति उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 को तर्क अंकित किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 368/345 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि [illegible] मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई [illegible] है। [illegible] वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 368/345 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 पांचों को बहिब के खातेदार कश्तकार घोषित किये जाते है। है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 795/2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. बजरंगलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. मालचन्द सुथार पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर हाल निवास रावतसर तहसील रावतसर ।
2. श्रीनिवास पुत्र राधाकृष्ण जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र सन्तलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. हीरालाल पुत्र सन्तलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

6. जड़िया पत्नी प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
7. गीतदेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
8. जमनादेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 795 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 368/345 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 पांचों को बहिब के खातेदार कश्तकार घोषित किये जाते है। है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर